न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 35/2024
(जीसीएमएस संख्या 2024/276)

निर्णय दिनांकः-12-11-2024

1. बनवारीलाल पुत्र झण्डाराम जाति कुम्हार निवासी 9 आरजेडी तहसील घड़साना।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बज्जू।
2. प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बरसलपुर

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 19—01—2024
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू

उपस्थितः

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी बज्जू के निर्णय व डिक्री दिनांक 19—01—2024 जिसके द्वारा अपीलांट् की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि को कानून के विपरीत जाकर रकबाराज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि तहसील बज्जू के चक 4 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 149/58 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि अपीलांट् के नाम खातेदारी भूमि मुताबिक राजस्व रिकोर्ड दर्ज है। उक्त भूमि पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर मौके पर अपीलांट् द्वारा किसी प्रकार का कोई खनन कार्य नहीं किये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर अपीलांट् की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश विधि विरूद्व तरीके से प्रदान कर दिये गये है। अदालत मातहत आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट् की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश विधि विरूद्व तरीके से पारित किये गये है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जो नोटिस जारी किये गये है, उक्त नोटिस की तामीली की सुनिश्चितता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है तथा पत्रावली की आदेशिका दिनांक 26–12–2023 में आगामी तारीख पेशी दिनांक 06–02–2024 अंकित की गई थी। जिसके विपरीत प्रकरण में दिनांक 19–01–2024 को ही अपीलांट् के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश पारित कर दिया गया।

उन्होनें आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य आधार संबंधित पटवारी हल्का का रिपोर्ट दिनांक 14–03–2019 को लिया गया है। जबकि उक्त रिपोर्ट एकतरफा तौर पर तैयार की गई है पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट स्वमेव विरोधाभासी है क्योंकि उक्त रिपोर्ट के पैरा संख्या 1 में चक 4 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 149/58 के किला नम्बर 25 में अवैध खनन के तथ्य का अंकन है तथा पैरा संख्या 2 में चक 22 डीओबीबी का अंकन है, ऐसीस्थिति में उक्त रिपोर्ट किस चक के संबंधित है, उक्त आशय के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जॉच की गई हो, ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में उल्लेखनीय यह भी है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट में मात्र किला नम्बर 25 में अवैध खनन का अंकन है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से अपीलांट् की समस्त भूमि अर्थात 25

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बीघा भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान करते हुए अपीलांट् के विधिक अधिकारों का हनन किया गया है। अदालत मातहत को दावे में तनकियांत कायम कर साक्ष्य लेने चाहिए थे। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की प्रक्रिया के विरुद्व वाद का निस्तारण किया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने आगे बताया कि अपीलांट् द्वारा मौके पर कभी भी खनन का कार्य नहीं किया गया है। अदालत मातहत उक्त स्थिति के विपरीत जाकर पटवारी हल्का की विरोधाभासी रिपोर्ट जिसमें अभिलिखित है कि मौके पर 1 बीघा पर अवैद्य खनन किया गया है को आधार बनाते हुए शेष भूमि को आराजीराज करने के आदेश प्रदान किये गये है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पटवारी की रिपोर्ट की कतई जॉच नहीं की गई है कि क्या उक्त रिपोर्ट सही रूप से प्रस्तुत की गई है अथवा नहीं? इस प्रकार अदालत मातहत की अपीलांट् के विरूद्व की गई कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होना जाहिर है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानून की परिभाषा में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अतः अपीलांट् की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

मियाद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है तथा मियाद प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट् की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1980 पेज 48–बी, आरबीजे 2018 पेज 173 (एससी), आरआरडी 1983 पेज 554, आरएलडब्ल्यू 2011 पार्ट I पेज 441, आरएलडब्ल्यू 2012 पार्ट I पेज 14 व एआईआर 1999 एससी पेज 3381 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खातेदारी भूमि में जिप्सम का अवैध खनन करने पर तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय में धारा 177 आरटीए के तहत वाद पेश किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट द्वारा अपनी कृषि भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के अकृषि कार्य अर्थात अवैध खनन जिप्सम निकालनें का कार्य किया गया है। अपीलांट् द्वारा वादगत् भूमि के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर दिया गया है। जो कृषि भूमि को हानि पहुँचाने वाला कार्य है। अपीलांट् का उक्त कृत्य आवंटन नियमों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया के अनुसार वाद का निस्तारण किया है जो कायम रखा जावे एवं अपीलांट् की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के निर्णय व डिक्री दिनांक 19–01–2024 के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील दिनांक 20–05–2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। प्रकरण में चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है व प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु सारभूत बिन्दु निहित है ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद को क्षम्य किये जाने हेतु अंकित तथ्य संतोषजनक होने के आधार पर अपीलांट् की अपील अंदर मियांद शुमार करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना युक्तियुक्त व न्यायसंगत होगा।

(2) उपखण्ड अधिकारी बज्जू के समक्ष तहसीलदार राजस्व ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त वाद में तहसीलदार, बज्जू द्वारा अभिकथन किया गया कि वादगत् भूमि जो कृषि कार्य हेतु प्रतिवादी को आवंटित की गई थी, पर अकृषि कार्य अर्थात अवैद्य खनन का कार्य किया जा रहा है। अतः प्रतिवादी को आवंटित भूमि को पुनः रकबाराज धोषित किया जावे। अदालत मातहत द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार करते हुए वादगत् भूमि को आराजीराज दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(3) हमने अदालत मातहत की पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया। मातहत अदालत में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 177 आरटीए का मुख्य आधार पटवारी रिपोर्ट था। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 14–03–2019 का अवलोकन किया गया। यह रिपोर्ट दो पैरा में है प्रथम पैरा में संबंधित हल्का पटवारी द्वारा चक 4 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 149/58 के किला नम्बर 25 में अवैध खनन होना उल्लेखित किया गया है जबकि द्वितीय पैरा में चक 22 डीओबीबी के काश्तकार बनवारीलाल पुत्र झण्डाराम के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की है। तहसीलदार बज्जू द्वारा प्रस्तुत वाद पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिसमें केवल चक 4 बीएमआर का उल्लेख है एवं चक 22 डीओबीबी के संबंध में कोई अभिकथन नहीं है।

(4) प्रकरण में यदि पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को लापरवाही/सहवनीय भूल मानने की उपधारणा भी की जाये तो पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं वादपत्र के पैरा संख्या 2 में तहसीलदार बज्जू द्वारा मुरब्बा नम्बर 149/58 के किला नम्बर 25 में ही अवैध खनन होना उल्लेखित किया गया है। नजरी नक्शा में भी केवल किला नम्बर 25 में अवैध खनन होना दर्शाया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की मुरब्बा नम्बर 149/58 की समस्त खातेदारी भूमि किला नम्बर 1 ता 25 को अराजीराज करने के आदेश दिये गये है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट को प्रादर्श नहीं करवाये गये न ही पटवारी के शपथ पर बयान करवाये गये। पत्रावली में बिना साक्ष्य लिये विरोधाभासी रिपोर्ट के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–12–2023 को पत्रावली इंतजार तलवी में पेशी 06–02–2024 के लिए निर्धारित थी परन्तु दिनांक 19–01–2024 को पत्रावली पेशी में ली जाकर एकपक्षीय आदेश जारी किया गया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1980 पेज 48 बी में भी अभिनिर्धारित किया गया है कि "**Held abnitio void since principles of natural justice, violated by not giving opportunity to non-applicants.**"

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(6) प्रकरण में मौका की वस्तुस्थिति जानने के लिए न्यायालय हाजा के पत्रांक 572 दिनांक 28–05–2024 से तहसीलदार बज्जू से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जो उनके पत्रांक 1946 दिनांक 02–07–2024 से प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें यह स्पष्टतया उल्लेखित है कि " इस रकबे पर बनवारीलाल पुत्र झण्डाराम का कब्जा काश्त है उक्त रकबा वर्तमान में कुषि कार्य हेतु उपयोग में लिया जा रहा है तथा **इस रकबे पर किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं होना पाया गया**"। तहसीलदार रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मौके पर कृषि कार्य पाया गया व अपीलाधीन रकबे पर कोई खनन कार्य नहीं पाया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरोधाभासी अपूर्ण व अस्पष्ट पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत वाद पत्र में बिना साक्ष्य लिये किया गया एकपक्षीय आदेश त्रुटिपूर्ण है जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

(7) उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19–01–2024 निरस्त किया जाता है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार बज्जू को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन अराजी में यदि मौके पर अकृषि कार्य पाया जाता है तो अविलम्ब नियमानुसार कार्यवाही अमल में लावे। भविष्य में मौके पर अकृषि कार्य पाये जाने पर तहसीलदार खातेदार के विरूद्ध वाद लाने हेतु स्वतंत्र होगा। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार बज्जू को भेजी जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

(8) निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12-11-2024 को सरे इजलास सुनाया गया तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर.

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर
बइजलास उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

बनवारीलाल बनाम सरकार
अपील संख्या 35/24

बनाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बज्जू
मुवर्खे 19–01–2024

यह अपील ब–तारीख 12–11–2024 रूबरू हमारी, बहाजरी श्री अभिभाषक अपीलांट्स श्री सत्यनारायण तिवाडी, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स श्री मिलापचन्द धत्तरवाल पेश होकर हुक्म हुआ। जिसके अनुसार अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बज्जू का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–01–2024 निरस्त किया गया।

(खर्चा अपील हाजा का हल्व तफ्सीस जेरे तादादी मुबलिग .....–.....) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .....–..... अदा करें।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 12 माह नवम्बर सन् 2024 को जारी किया गया।

मुहर

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोडेन्ट	रू.	य पै.
1. स्टाम्प अपील..... 2. स्टाम्प वकालतनामा .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत् ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालतनामा..... 2. अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील ..... मीजान		